न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला – दौसा

मु0न0– 43 / 2020

दिनांक रज्जु–04.11.2020

पीठासीन अधिकारी
श्री गोवर सिंह मीना मल्होत्रा
(आर0ए0एस0)

घासीलाल पुत्र किशन्या जाति मीना उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम उगरियावास तह0 लालसो जिला दौसा

प्रार्थीगण(आवेदक)

बनाम

1. ग्यारसीलाल
2. काल्या
3. कमलेश

पि0 गंगल्या

4. रामनाथी पत्नी गंगल्या
5. लक्ष्मण पुत्र चन्द्रा

समस्त जाति मीना निवासी उगरियावास तह0 लालसोट जिला–दौसा

6. राज0 सरकार जरिये–तहसीलदार लालसोट जिला दौसा

अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अ0धा0 251 (ए) उपधारा (1)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित– श्री नाथु लाल मीना एड0 प्रार्थी

श्री कमलेश सैनी एड0 अप्रार्थी
श्री कमलेश सैनी एड0 अप्रार्थी

निर्णय दिनांक– 15.06.2022

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 (ए) उपधारा (1) रा0का0अ0 1955 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/आवेदक उपखण्ड के क्षेत्राधिकार का खातेदार कृषक है एवं प्रार्थी की कृषि भूमि वर्तमान ख0 न0 2, 3, 5, 6 वाकै ग्राम उगरियावास प0ह0 चौण्डियावास भू. भि.नि. क्षैत्र देवली तह0 लालसोट जिला–दौसा राजस्थान प्रदेश में स्थित है। उक्त आराजी कृषि भूमि का प्रार्थी अभिलिखित खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (एक्ट न0 30, 1955) में यथासंशोधित धारा 251 (ए) की उपधारा 2 के तहत है तथा प्रार्थी/आवेदक की खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि वाकै ग्राम उगरियावास प0ह0 चौण्डियावास भू. अभि. नि. क्षैत्र देवली तह0 लालसोट जिला–दौसा के लिए नये मार्ग की आवश्यकता है ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 (एक्ट नं0 30 ,1955) में यथासंशोधित धारा 251(ए) की उपधारा 2 के तहत है तथा प्रार्थी/ आवेदक की खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि वाकै ग्राम उगरियावास प0ह0 चौण्डियावास भू. अभि. नि. क्षैत्र देवली तह0 लालसोट जिला – दौसा के लिए नये मार्ग की आवश्यकता हेतु डिटेल निम्नांकित हैः–

<u>प्रार्थीगण</u> :– घासीलाल पुत्र किशन्या जाति मीना उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम उगरियावास तह0 लालसोट आवेदक द्वारा जिन खातेदारान की भूमि में होकर नया मार्ग लेने हेतू उक्त आवेदन किया गया जिसके सम्बन्ध में जानकारी निम्नांकित हैः–

<u>याचित रास्ते की भूमि की स्थिति</u> : – वर्तमान ख0नं0 35, 36, 37 वाकै ग्राम उगरियावास प0ह0 चौण्ड्यावास भू.अभि.नि. क्षैत्र देवली तह0 लालसोट जिला – दौसा (राज0) में स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी एवम् आधिपत्य की कृषि भूमि वर्तमान ख0 न0 2, 3, 5, 6 वाकै ग्राम उगरियावास प0ह0 चोण्डियावास भू.भि.नि. क्षैत्र देवली तह0 लालसोट जिला–दौसा राजस्थान प्रदेश में स्थित है। जो कि उपखण्ड कार्यालय लालसोट के क्षेत्राधिकार में आता है। आवेदक की कृषि भूमि के वर्तमान ख0न0 2, 3, 5, 6 वाकै ग्राम उगरियावास प0ह0 चोण्डियावास भू.अभि.नि. क्षैत्र देवली तह0 लालसोट है आवेदक द्वारा जिन खातों की याचित रास्ते की भूमि की स्थिति वर्तमान ख0न0 35, 36, 37 वाकै ग्राम उगरियावास प0ह0 चोण्डियावास भू.अभि.नि. क्षैत्र देवली तह0 लालसोट में स्थिति है। आवेदक को अपनी खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि वर्तमान ख0 न0 2, 3, 5, 6 वाकै ग्राम उगरियावास

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

प0ह0 चोण्डियावास भू.अभि.नि. क्षैत्र देवली में स्थित जोत तक पहुचने हेतू विपक्षी की खातेदारी की कृषि भूमि ख0 न0 35,36, 37 वाकै ग्राम उगरियावास प0ह0 चोण्डियावास भू. अभि.नि. क्षैत्र देवली तह0 लालसोट में से आवेदन पत्र के साथ संलग्न नजरी मानचित्र में बरंग लाल से वर्णित स्थल पर 10 फिट चौडाई का रास्ता विपक्षी की खातेदारी भूमि ख0न0 35, 36, 37 वाकै ग्राम उगरियावास में होकर आवेदक की भूमि ख0न0 2, 3, 5, 6 वाकै ग्राम उगरियावास लालसोट तक दिलाया जावें। उक्त रास्ता पहले से ही लगभग 10 फिट चौडाई का था। आवेदक के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर नहीं है। जिससे आवेदक को अपनी खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि पर काश्त आदि करने से महरूम होना पड रहा है। जिससे आवेदक के सामने रोजी रोटी का संकट भी व्याप्त है। आवेदक को कृषि भूमि ख0न0 35, 36, 37 वाकै ग्राम उगरियावास में से संलग्न नजरी मानचित्र में बरंग लाल से वर्णित स्थल पर 10 फिट चौडाई के रास्ते की आवश्यकता है जिसके लिए आवेदक नियमानुसार शुल्क अदा करने को तैयार है।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई जिसपर अप्रार्थी स0 1 ल0 05 की ओर से श्री कमलेश सैनी एवं तेजराम मीना एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया एवं पत्रावली में तहसीलदार लालसोट से रास्ते के संबंध में जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार लालसोट की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् पत्रावली बहस में रखी गई।

हमने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनी जिसमें वकील प्रार्थी ने अपनी आराजी खसरा नंबर 2,3,5 व 6 पर आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने का कथन किया। वकील अप्रार्थी ने उक्त खसरा नंबर पर जाने का वैकल्पिक लंबा रास्ता उपलब्ध होने का कथन किया परंतु तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रेषित अपनी मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से खसरा नंबर 2,3, 5 व 6 पर जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं होना जाहिर किया है।

तहसीलदार लालसोट द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण अपने आराजी खसरा नंबर 2,3,5 व 6 पर हमेशा से खसरा नंबर 37 की दक्षिणी–पश्चिमी मेड से होकर जाते रहे है व इसी मेड पर से होकर रास्ता सबसे छोटा एवं उपयुक्त है, जो भूमि अप्रार्थीगण की है।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

वकील अप्रार्थी ने अपने समर्थन में अ0धा0 251 (ए) उपधारा (1) रा0क0अ0 1955 नजीरे प्रस्तुत की RRT 2016-17 SOPPT 597, S.B. Civil Petition No. 15664 , 2021(3) CJ(CIV.) पेज 1455 RRT 2017 (1) पेज 423 अपने प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 (ए) उपधारा (1) जिनका भी अवलोकन किया।

वकील उभयपक्ष द्वारा अपनी बहस में किए गए कथन, प्रस्तुत नजीरें, तहसीलदार लालसोट से प्राप्त रिपोर्ट का भलीभांति अवलोकन कर मनन, चिंतन किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 (ए) में अपनी आराजी ख0नं0 2,3, 5 व 6 पर जाने हेतु 10 फीट चौडे रास्ते की मांग की गई है जिसकी वर्तमान डीएलसी दर का दोगुना पैसा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के खाते में जरिए चेक/डीडी द्वारा भुगतान कराया जाए। वकील प्रार्थी आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 (ए) उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 2, 3, 5, 6 तक खसरा नंबर 37 की दक्षिणी–पश्चिमी मेड़ (नक्शा ट्रेस अनुसार) से होकर दस फीट चौड़े नवीन रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अमल दरामद करें तथा डीएलसी दर की दौगुनी राशि प्रार्थी आवेदक से अप्रार्थीगण को दिलाई जावे । तहसीलदार लालसोट को इस आशय की तहरीर जारी होकर पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

लालसोट